

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० देयता निम्नानुसार है।

1-ईको - क्लास श्रेणी	V
2-हरियाली का घनत्व	41%
3-एन०पी०वी० की दर प्रति है	845000 = रु
4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	2.06 ha.
5-कुल देय एन०पी०वी० की धनराशी	17,40,700 = रु

वन अधीक्षक
जनपद रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
जनपद रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-
पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग रुखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुखीमठ (रुद्रप्रयाग)